प्रेस नोट दिनांक 24.08.2020

सराहनीय कार्य जनपद बागपत।

थाना छपरौली क्षेत्रान्तर्गत बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक तमंचा मय कारतूस नाजायज बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11.08.2020 को सुबह समय करीब 06:30 बजे थाना छपरौली क्षेत्रान्तर्गत **बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संजय खोखर की गोली मारकर हत्या** कर दी गयी। इस सम्बन्ध में मृतक संजय खोखर के पुत्र मनीष की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 253/2020 धारा 147, 148, 149, 302, 120बी भादवि बनाम 1–नितिन धनकड पुत्र संजय निवासी कस्बा व थाना छपरौली 2–मयंक डालर पुत्र बबलू निवासी ग्राम ककौर 3–विपिन पुत्र रविन्द्र 4–अंकुष षर्मा पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत व दो–तीन व्यक्ति अज्ञात के विरूद्व पंजीकृत किया गया था।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी बडौत के नेतृत्व में थाना छपरौली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेषन से आज दिनांक 24.08.2020 को सुबह समय करीब 09:00 बजे मुखबिर की सूचना पर रठौडा नहर पुलिया से श्री संजय खोखर पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी की हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त 1–संजीव खोखर पुत्र सोहनपाल निवासी मौ0 पटटी धनधान कस्बा व थाना छपरौली 2–श्रवण खोखर पुत्र रणधोल निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त श्रवण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में प्रकाष में आये तथ्य–

पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त श्रवण खोखर संजीव खोखर का सगा भतीजा है। अभियुक्त संजीव खोखर व श्रवण खोखर ने पूछताछ पर बताया कि संजीव खोखर के भाई रणधोल की पत्नी सुषीला खोखर वर्ष 2006 से 2011 तक छपरौली नगर पालिका की चेयरमेन रही थी। इसके बाद से पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी श्री संजय खोखर के समर्थन से इनके परिवार/खानदान के लोग ही चेयरमेन बनते चले आ रहे है। संजय खोखर की वजह से ही संजीव खोखर के परिवार वालों को चेयरमेन पद नही मिल पा रहा था। इसमें संजय खोखर बडी बाधा बन रहे थे। संजीव खोखर के पास सागर वालियान जो इसका दूर का रिष्तेदार है रहता था। संजीव खोखर ने यह भी बताया कि 04 वर्ष पूर्व जब संजय खोखर जिलाध्यक्ष थे तब संजीव खोखर का झगडा संजय खोखर के खानदानी सतीष मास्टर के साथ हुआ था। जिसमें संजय खोखर ने संजीव खोखर के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही करवायी थी। तभी से संजीव खोखर अपमानित महसूस करता था तथा संजय खोखर से रंजिष रखता था। सागर वालियान ने संजीव खोखर को बताया कि मुझे भी अपने भाई की हत्या का बदला अपने मामा के लडके अखिल व उसके दोस्त बन्टी से लेना है। तब संजीव खोखर एवं श्रवण खोखर ने कहा कि पहले तुम मेरा ये काम करवा दो फिर बाद में तुम्हारा बदला भी साथ मिलकर ले लेगें। दिनांक 10.08.2020 को संजीव खोखर का भतीजा श्रवण खोखर कस्बा बडौत से अपने मकान छपरौली पर आया और वहां पर संजीव खोखर, श्रवण खोखर, सागर वालियान, सागर गोस्वामी, साहिल सलमानी ने मिलकर योजना बनायी कि कल सुबह मोर्निग वाक पर जाते समय संजय खोखर की हत्या कर देगें। दिनांक 11.08.2020 को सुबह 05:00 बजे ही तीनो संजीव खोखर के साथ बनायी गयी योजना के अनुसार मुर्गी फार्म के पहले गन्ने के खेत में छुप गये एवं संजय खोखर के

आने का इंतजार करते रहे। इनकी योजना इसी काली सडक पर संजय खोखर की हत्या करने की थी किन्तु सुबह 06:00 व 06:30 के बीच जब सडक पर लोगों का आवागमन षुरू हो गया तो इनको आषंका हुई कि षायद संजय खोखर आज नही आयेगें तब ये खेत से निकलकर मुर्गी फार्म के बगल के चकरोड पर आगे भूमिया एवं टयूबवैल के पास आकर खडे हो गये। अचानक उस चकरोड पर संजय खोखर अपनी टयूबवैल की तरफ आते दिखाई दिये, सागर वालियान व सागर गोस्वामी दोनो भूमिया व टयूबवैल के पीछे छिप गये जब कि श्रवण खोखर चकरोड पर खडा रहा जैसे ही संजय खोखर नजदीक पहुंचे तीनो ने अपने–अपने पास रखे अवैध असलहे से से फायर किया तथा संजय खोखर की हत्या कर दी। एवं संजय खोखर के टयूबवैल की तरफ ही खेतों में भाग गये।

इस घटना के हर पहलू की गहनता व निष्पक्षता से जांच हेतु एक एसआईटी आईजी रेंज मेरठ महोदय के अनुमोदन से गठित कर दी गयी है। जिसमें क्षेत्राधिकारी बडौत, एसएचओ छपरौली व मेरठ जनपद के एक इस्पेक्टर रहेगें।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–</u>

1–संजीव खोखर पुत्र सोहनपाल निवासी मौ0 पटटी धनधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

2–श्रवण खोखर पुत्र रणधोल निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

<u>फरार अभियुक्तों का नाम व पता–</u>

1–सागर वालियान पुत्र षौकेन्द्र निवासी दुल्हेरा थाना षाहपुर मुजफ्फरनगर हाल निवासी विषाल हॉल के पास गुराना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत। **(ईनाम 25 हजार रूपये)**

2–सागर गोस्वामी पुत्र जसवीर निवासी पटटी भूवाला कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत। **(ईनाम 25 हजार रूपये)**

3–साहिल सलमानी पुत्र अकबर निवासी कबीर मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत। **(ईनाम 25 हजार रूपये)**

<u>बरामदगी का विवरण–</u>

1–श्रवण खोखर के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस।

<u>अभियुक्त संजीव का अपराधिक इतिहासः–</u>

1–मु0अ0सं0 461/2004 धारा 302, 120बी भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

- **आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 188 पव्वे देषी षराब बरामद।**

थाना दोघट–पुलिस द्वारा दिनांक 23.08.2020 को चैकिंग के दौरान ग्राम तमेलागढी से अभियुक्त तृषपाल पुत्र साहबसिंह निवासी ग्राम तमेलागढी थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 पेटी देषी षराब नाजायज बरामद की गई।

थाना छपरौली–पुलिस द्वारा दिनांक 23.08.2020 को चैकिंग के दौरान जंगल ग्राम लुहारा से अभियुक्त 1–सुभाष पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी ग्राम लुहारा 2–सुरेन्द्र पुत्र षोभाराम निवासी ग्राम आदर्ष नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 30–30 पव्वे देषी षराब नाजायज बरामद की गई।

थाना चांदीनगर–पुलिस द्वारा दिनांक 24.08.2020 को चैकिंग के दौरान खटटा नहर से अभियुक्त सुषील पुत्र रामपाल निवासी ग्राम खटटा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 48 पव्वे देषी षराब नाजायज बरामद की गई।

थाना सिंघावली अहीर–पुलिस द्वारा दिनांक 24.08.2020 को चैकिंग के दौरान बुढसैनी चौराहे से अभियुक्त जानमौहम्मद पुत्र जबरदीन निवासी ग्राम व थाना सि0अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 32 पव्वे देषी षराब नाजायज बरामद की गई।

- **रमाला चीनी मिल से व्यापारी की 640 कटटे चीनी (कीमत करीब 10 लाख 75 हजार 200 रूपये) ट्रक ड्राइवर द्वारा गन्तवय स्थान पर न पहुंचाकर गायब करने वाला ट्रक ड्राइवर षत प्रतिषत माल सहित गिरफ्तार।**

दिनांक 19.08.2020 को नितिन गुप्ता पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी महाजन मौहल्ला कस्बा रोहतक हरियाणा का 640 कटटे चीनी से भरा हुआ ट्रक रमाला मिल से ट्रक ड्राईवर द्वारा **अनमोल बिस्किटस इण्डिया 38ए उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा पर न पहुंचाकर गायब करने के सम्बंध में थाना रमाला पर मु0अ0स0 124/2020 धारा 406, 467, 468, 471 भादवि में पंजीकृत किया गया था।**

थाना रमाला पुलिस द्वारा **दिनांक 23/24 .08.2020 को समय करीब 00:50 बजे मुखबिर की सूचना पर** पेरिफेरल हाईवे के पास थाना दनकौर क्षेत्र षिवा डाबा ग्रेटर नौएडा से अभियुक्त षहरूण पुत्र षेर मौहम्मद निवासी ग्राम खिल्लूखां थाना हथिन जनपद पलवल हरियाणा को एक ट्रक मय **640 कटटे चीनी (कीमत करीब 10 लाख 75 हजार 200 रूपये) सहित** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्व थाना रमाला पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **षस्त्र अधिनियम के अर्न्तगत 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 चाकू नाजायज बरामद।**

थाना बागपत—पुलिस द्वारा दिनांक 23.08.2020 को चैकिंग के दौरान कैनरा बैंक के पास दिल्ली रोड से अभियुक्त साबिर पुत्र इन्तजार निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद किया गया।

थाना बडौत—पुलिस द्वारा दिनांक 24.08.2020 को चैकिंग के दौरान गांधी रोड तिराहा कस्बा बडौत से अभियुक्त रितिक पुत्र सुभाष निवासी बडौली रोड कस्बा व थाना बडौत बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया।

- **थाना बडौत पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस बरामद।**
- **थाना बडौत**—पुलिस द्वारा दिनांक 23/24.08.2020 की रात्रि समय करीब 00:50 बजे ग्राम गुराना से मु0अ0स0 654/2020 धारा 307,504 भादवि में वांछित अभियुक्त जरनेल पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस** नाजायज बरामद हुआ है। अभियुक्त जरनेल द्वारा दिनांक 22.08.2020 की रात्रि में संजय पुत्र गंगादास निवासी कष्यप कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गाली गलौच करते हुए जानप मारने की नियत से गोली मारकर घायल कर दिया था। थाना बडौत पर अभियुक्त के विरूद्व विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना बागपत पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बागपत—पुलिस द्वारा दिनांक 24.08.2020 को हवेली तिराहे मु0अ0स0 446/2020 धारा 307 भादवि में वांछित अभियुक्त रहीसखां पुत्र हमीदखां निवासी मौहल्ली कुरेषियान कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।